न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वि राजस्व वाद सख्या 62/2014

1. श्री देवीसिंह वल्द भीमसिंह आयु 58 साल जाति मेहरात निवासी गांव रूपारेल तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
2. श्रीमति गटटु पुत्री भीमसिंह पत्नि भवरू जी आयु 40 साल जाति मेहरात निवासी गांव ढोसला तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 ।

.....वादीगण–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भीमसिंह सुपुत्र श्री रूपाजी आयु 80 साल जाति मेहरात निवासी गांव रूपारेल, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज. ।
2. श्रीमति सीता पुत्री भीमसिंह जी पत्नि हाकमजी आयु 45 साल जाति मेहरात निवासी रेल्वे स्टेशन के आगे गांव रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली राज0 ।
3. श्रीमति सुगरा पत्नि नारायण उर्फ हाजी मौ0 सफीखान कौम मेरात निवासी रूपारेल तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरीये , भू–धारक तहसीलदार अजमेर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरीये , उप पंजीयक मसूदा ।
6. राजस्थान सरकार जरीये , जिला कलेक्टर, अजमेर राज0 ।
7. राजस्थान सरकार जरीये , हल्का पटवारी, पीपलाज ।

.....प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जाब्ता दिवानी

1. श्री जी.सी. गादिया
   वकील प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण
   अनुपस्थित

आदेश

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

दिनांकः–29.09.2016

इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम रूपारेल तह. मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी नं. 418, 441, 293, 329, 401 व 669 जिसके क्रमशः हाल नं0 515, 542, 331, 414, 493 व 806 बने है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमियां है जो उनके पिता व दादा रूपा जी की विरासत से आई है । वादीगण का जन्म स्व0 रूपा जी के समय में हो गया था इसलिए विवादित भूमि मे

उनके मिताक्षरा हदायिकी की सम्पति होने से वादीगण के उनमे अधिकार उत्पन्न हो गये है । विवादित भूमियों में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा है जिस पर पक्षकारान का संयुक्त कब्जा काश्त चला आता है लेकिन उनमें अकेले प्रतिवादी सं. 1 का नाम लगा है प्रतिवादी 2 का नाम नहीं लगा है । प्रतिवादी सं. 1 अदतन शराबी है और उसने बिना किसी आवश्यकता के ख.नं. 414 रक्बा 2–06–00 प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया है और अपनी शराब की आदत के चलते और बेचने पर आमादा है अतः उसे ताफैसला वाद के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरण आदि से निषेध किया जावे ।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से बावजूद तामीली नोटिस कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । वकील प्रार्थीगण को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन करने पर जमाबंदी अनुसार अप्रार्थी सं 1 ही तन्हा रूप से खातेदार दर्ज हैं । प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी सं0 2 अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र पुत्रियां है । बहस एवं प्रार्थना–पत्र पर विवेचन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी 1 के परिवार के लोग उसकी शराब की लत से परेशान है और वे किसी भी तरह उसे बरबादी से बचाने के लिए वाद एवं प्रार्थना–पत्र लाए है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 के अधिकार वाद पर तय किये जाने है लेकिन वर्तमान स्थिति प्रार्थीगण की व्यथा को दृष्टिगत रखते हुए ताफैसला वाद के निशेधा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि ग्राम रूपारेल स्थित आराजी ख.नं. 515, 542, 331, 414, 493 व 806 की आराजी के राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति यथावत कायम रखी जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि वह इनका दीगर व्यक्तियों ताफैसला वाद के हस्तांतरण न करे ना ही किसी रूप में भार ग्रस्त करें अप्रार्थी 4 व 5 अप्रार्थी सं 1 के आवेदन पर राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन एवं कार्यवाही पंजीयन आदि नही करें ।

आदेश आज दिनांक 29.09.2016 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: